


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक सं. 766/14 जिला अजमेर

उनवान मोहम्मद अली म 3/0 राजी शौकत बेगी बनाम सरकार व मेन्म

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.3.15	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u></p> <p>वकील प्रार्थी श्री वी.के.गर्ग एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>श्री वी.के.गर्ग एडवोकेट ने निवेदन किया कि वे महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा घोषित योजना के तहत ब्याज एवं शास्ती राशि में छूट लेने के क्रम में प्रस्तुत निगरानी को और आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विद्वज्ञ करना चाहते हैं। इस बाबत श्री वी.के.गर्ग ने प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>अतः श्री वी.के.गर्ग एडवोकेट का निगरानी को विद्वज्ञ करने का निवेदन स्वीकार करते हुए निगराकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी जरिये विद्वज्ञाअल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर। </p>	